संख्या-34/892/84-डे0ई0-13-822/2013

प्रेषक,

धर्म चन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डे0ई0 लखनऊ :: दिनांक 22 अक्टूबर,2013

विषय:- उ0प्र0 सिविल सर्विस रेग्यूलेशन के अनुच्छेद 356 एवं 526 के तहत सैन्य पेंशनर राज्य सरकार के अधीन की गयी सेवा का सेवानिवृत्त लाभ के साथ ही साथ पेंशन पाने वाले कार्मिकों के संबंध में सूचना निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-822/84-डे0ई0-2013, दिनांक 25 सितम्बर, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें ।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्न वित्त सामान्य अनुभाग-3 के पत्र संख्या-सा-963/दस-328(29)/2013, दिनांक 19 अगस्त, 2013 में माँगी गई निर्धारित प्रारूप पर सूचना अभी तक शासन को उपलब्ध नहीं कराई गयी है । यदि प्रकरण निगम से संबंधित सूचना हो तो कार्यवाही कर निर्धारित प्रारूप पर सूचना सीधे वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 को उपलब्ध कराते हुए प्रति अनुभाग को भी उपलब्ध करायें ।

भवदीय,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in